फाइल. B07
14-5-13

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.3(1)साप्र/2/2013–पार्ट जयपुर, दिनांक : 10-5-13

–: आदेश :–

श्री अनुराग मधुकर, प्रोग्रामर, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को उनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 144/2008 के आधार है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.12.2024 है के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 3(1)साप्र/2/2011/पार्ट– दिनांक 22.7.2011 के द्वारा राजकीय आवास संख्या 18/III/ए बहुमंजिला आवास, जयपुर का आवंटन किया गया था। श्री अनुराग मधुकर की पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में राजकीय आवास संख्या 4/III/बी बहुमंजिला गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तो के आधार पर एतदद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :–

शर्ते:–

1. आवास का कब्जा आवास आवंटन के 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षैत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. श्री अनुराग मधुकर से कॉमन सुविधा राशि रूपये 225/–(अक्षरे रूपये दो सौ पच्चीस मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होगें।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
6. निदेशक, दूरसंचार एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0अभि0वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
9. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
10. निदेशक, उद्यान विङ्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
11. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर--कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
12. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्ते संख्या-8 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा देवें। कृपया आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
13. श्री अनुराग मधुकर, प्रोग्रामर कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
14. श्री अनुराग मधुकर, प्रोग्रामर निवासी 18/III/ए, बहुमंजिला आवास गांधीनगर। जयपुर-- कृपया आवास संख्या 4/III/बी बहुमंजिला आवास गांधीनगर का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करें।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
15. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

(गनफूल बैरवा)
शासन सहायक सचिव